**संख्या:145/2016/1722जेएल/22-3-16-100(122)/2015**

**प्रेषक,**

**हरि नारायण गिरि,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक,**
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2016***

**विषय:** जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी बृजेश सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह पुत्र श्री रविन्द्रनाथ सिंह, निवासी जनपद-वाराणसी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मेमो/सामा-1(3)/बंदी स्थानान्तरण/2015, दिनांक 20-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी बृजेश सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह पुत्र श्री रविन्द्रनाथ सिंह को **दिनांक 30-04-2016 तक के लिए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त तिथि के पश्चात बंदी को पुन: जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

**2-** कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

**संख्या:145/2016/1722जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
2. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(हरि नारयण गिरि)**
**अनु सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in